उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 4060/22 | दिनांक 29/04/2022

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
दीपमाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
दीपमाला हास्पिटल निकट बी0एस0एन0एल0
टेलीफोन एक्चेन्ज चौपला रोड, बरेली।

विषय–बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–274/71–4–2022–एन–8/2016 दिनॉक 31 मार्च, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 18.04.2022 के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 40 सीट का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः ट्रिनिटी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित दीपमाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दीपमाला हास्पिटल निकट बी0एस0एन0एल0 टेलीफोन एक्चेन्ज चौपला रोड, बरेली के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए श्री अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– | दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2235964, 2235965
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 4059/22 दिनांक 29/04/2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
दीपमाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
दीपमाला हास्पिटल निकट बी0एस0एन0एल0
टेलीफोन एक्चेन्ज चौपला रोड, बरेली।

विषय–दीपमाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दीपमाला हास्पिटल निकट बी0एस0एन0एल0 टेलीफोन एक्चेन्ज चौपला रोड, बरेली में सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या– 181/71–4–2022–एन–8/2016 दिनॉक 31 मार्च, 2022 द्वारा निर्गत अनापित्त/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 18.04.2022 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण में 40 प्रशिक्षुओं प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु निम्नलिखित निर्देशों के साथ मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्वता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

1. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।
2. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (अंग्रेजी विषय अनिवार्य) न्यूनतम 40 % के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 31 दिसम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

फोन : 0522 – 2235964, 2235965

Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–.................... दिनांक ....

3. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

4. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

5. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

7. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग टयूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।

9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।

10. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

फोन : 0522 – 2235964, 2235965

Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–.................... दिनांक ....

Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर प्रत्येक वर्ष कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।

13. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000+18% (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) 40 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।